# नगर पंचायत जलाली (अलीगढ़)
# सूचना अधिकार अधिनियम-२००५
# धारा-४(१) (बी) के अनुसरण में अभिलेख

## १. संरचना, कृत्य और कर्तव्यः

नगर पंचायत जलाली जिला अलीगढ़ का गठन सन् १८६१ में हुआ था। इसकी सीमा क्षेत्रफल १७.६२ वर्ग किलो मीटर एवं जनगणना १६८१ में १४८४३, १६६१ में १५५४८, २००१ में १७४५१ है। नगर पंचायत जलाली, मुख्यालय से पूर्व की ओर २० कि०मी० दूरी पर जी०टी० रोड से गंगीरी मार्ग पर स्थित है।

नगर पंचायत जलाली स्वायत्तशासी संस्था है। एक अध्यक्ष और निर्वाचित सदस्य १० तथा पदेन सदस्य लोक सभा एवं राज्य विधान सभा सदस्य, नाम निर्दिष्ट सदस्य न्यतम तीन, सम्प्रति निर्वाचित बोर्ड का कार्यकाल समाप्ति कारण से नगर पंचायत के समस्त कृत्य-कर्तव्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित प्रशासक से निहित है।

**नगर पंचायत के कर्तव्यः-**

**<u>उ०प्र०न०पा०प० अधिनियम १६१६ की धारा ७ में वर्णित कर्तव्यः</u>**

- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर रोशनी।
- सार्वजनिक सड़कों और स्थानों पर पानी का छिड़काव।
- नगर पंचायत सीमा का सर्वेक्षण करना और सीमा चिन्ह लगाना।
- सार्वजनिक सड़कों, स्थानों और नालियों की सफाई करना, हानिकर वनस्पति को हटाना और समस्त लोक उत्पात का उपशमन करना।
- संतापकारी, खतरनाक या आपत्तिजनक व्यापार, आजीविका या प्रथा का विनियमन करना।
- आवारा कुत्तों तथा खतरनाक पशुओं को परिरूद्ध करना, हटाना या नष्ट करना।
- लोक सुरक्षा, स्वास्थ्य या सुविधा के आधार पर सड़कों या सार्वजनिक स्थानों से अवांछनीय

अवरोध और प्रक्षेप हटाना।

- खतरनाक भवनों या स्थानों को सुरक्षित बनाना या हटाना।
- मृतकों के निस्तारण के लिये स्थान अर्जित, अनुरक्षित, परिवर्तित और विनियमित करना और अदावाकृत शवों के पुलिस से लिखित रूप में यह अभिनिश्चित करने के पश्चात् कि ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं है, निस्तारण का प्रबन्ध करना।
- सार्वजनिक सड़कों, बाजारों, वध शालाओं, शौचालयों, संडासों, मूत्रालयों, नालियों, जलोत्सारण निर्माण कार्यो का निर्माण, परिवर्तन और अनुरक्षण करना।
- घरेलू औद्योगिक और वाणिज्यक प्रयोजनों के लिये जलापूर्ति उपलब्ध कराना।
- सड़क के किनारें तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों में वृक्ष लगाना और उनका अनुरक्षण करना।
- ऐसे स्थानों में जहां वर्तमान जल संभरण के अपर्याप्त या अस्वास्थ्यप्रद होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य को संकट हो, शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद जल के पर्याप्त संभरण की व्यवस्था करना, मनुष्यों के उपभोग के लिये प्रयुक्त होने वाले जल को प्रदूषित होने से बचाना और प्रदूषित जल के ऐसे उपयोग को रोकना।
- जल-संभरण के अन्य किसी स्त्रोत के अतिरिक्त, सार्वजनिक कुओं को यदि कोई हो, ठीक हालत में रखना, उनके जल को प्रदूषित होने से बचाना और उसे मनुष्यों के योग्य बनाये रखना।
- जन्म और मरण का रजिस्ट्रीकरण।
- सार्वजनिक टीका लगाने की प्रणाली की स्थापना तथा उसका अनुरक्षण।
- सार्वजनिक चिकित्सालयों और औषधालयों की स्थापना उनका अनुरक्षण या उनकी सहायकता करना और सार्वजनिक चिकित्सा सम्बन्धी सहायकता की व्यवस्था करना।
- प्रसूति केन्द्रो, शिशु कल्याण और जन्म नियंत्रण क्लीनिकों की स्थापना, अनुरक्षण और सहायता करना और जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण औरा छोटे परिवार मानक का संवर्द्धन करना।
- शारीरिक संबर्धन की संस्थाओं की स्थापना और उसका अनुरक्षण या उन्हें सहायकता प्रदान

करना।

- प्राथमिक स्कूलों की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना।
- आग बुझाने में सहायता देना और आग लगने पर जीवन तथा सम्पत्ति की रक्षा करना।
- नगर पंचायत में निहित या उसके प्रबंध में सौंपी गयी सम्पत्ति की सुरक्षा करना, उसका अनुरक्षण तथा विकास करना।
- वित्त-व्यवस्था का संतोषप्रद स्थिति में बनाये रखना और उसके दायित्वों को पूरा करना।
- शासकीय पत्रों पर तत्काल ध्यान देना और ऐसी विवरणियां, विवरण और रिर्पोट तैयार करना, जिन्हें राज्य सरकार से प्रस्तुत करने की अपेक्षा करें।
- विधि द्वारा उस पर अधिरोपित किसी बाध्यता की पूर्ति करना।
- पार्किगं स्थल, बस स्टाप और जन सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण करना।
- नगरीय वानिकी और पारिस्थतकी पहलुओं की अभिवृद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करना।
- समाज के दुर्बल वर्गों के जिनके अन्तर्गत विकलांग और मानसिक रूप से मन्द व्यक्ति हैं, हितों का संरक्षण करना।
- सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्य परख पहलुओं की अभिवृद्धि करना।
- कांजी हाऊस, का निर्माण और अनुरक्षण करना और पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण करना।
- गन्दी-बस्ती सुधार और उन्नयन।
- नगरीय निर्धनता कम करना।
- नगरीय सुख सुविधाओं और सुविधाओं जैसे कि पार्क, उद्यान और खेल के मैदानों की व्यवस्था करना।

**नगर पंचायत के वैवैकिक कृत्यः-**

- मास्टर प्लान तैयार करना और उसे निष्पादित करना।
- पुस्तकालय, संग्रहालय, वाचनालय, रेडिया, संग्राही केन्द्र, कुष्ठाश्रम, अनाथलय, शिशु-सदन और महिला उद्धार-ग्रह कार्यालय, धर्मशाला, विश्राम-ग्रह, सिविर-स्थ्ल, अर्किचन-ग्रह, दुग्ध ाशाला, स्नानागार, स्नान-घाट, धोवियों के धुलाई-स्थल, पीने के पानी का स्त्रोंत (ड्रिकिंग फाउन्टेन) तालाब, कुंआ, बांध तथा अन्य लोकोपयोगी निर्माण कार्यो का निर्माण, उनकी स्थापना तथ उनका अनुरक्षण या उनके अनुरक्षण में अशंदान देना।
- जन-गणना करना और ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म मरण के आंकड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित हो सके।
- ऐसी सूचना के लिये इनाम देना, जिससे जन्म मरण के आकंड़ों का सही रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित को सके।
- स्थानीय विपत्ति पड़ने पर, सहायता कार्यो की स्थापना और उनका अनुरक्षण करके या अन्य प्रकार से सहायता करना।
- धारा २९८ के शीर्षक ‘छ’ के उपशीर्षक (क) के अधीन उल्लिखित किसी व्यापार या निर्माण के कार्यान्वयन के लिये उपयुक्त स्थान प्राप्त करना या प्राप्त करने में सहायता देना।
- सीवेज के निस्तारण के लिये फार्म या कारखाना स्थापित करना और उसका अनुरक्षण करना।
- विष्ठा और कूड़ा-करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करने के लिये प्रबन्ध करना।
- पर्यटक यातायात की अभिवृद्धि करना।
- मेले और प्रदर्शनियां लगाना।
- ग्रह और नगर नियोजन योजनाऐं तैयार करना और उनका निष्पादन।
- व्यापार और उद्योग की अभिवृद्धि के लिये उपाय करना।

- अपने कर्मचारियों के लिये श्रम कल्याण केन्द्र स्थापित करना और ऐसे कर्मचारियों व किसी एसोसियेशन संघ या क्लब की सामान्य उन्नति के लिये अनुदान अथवा ऋण देकर, उसके कार्यकलापों में सहायता देना।
- भिक्षा-वृत्ति पर नियंत्रण के लिये उपाय करना।
- कोई ऐसा कार्य करना, जिसके सम्बन्ध में व्यय राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत द्वारा, नगरों की दशा में राज्य सरकार की और अन्य नगर पंचायतों की दशा में विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से, नगर पंचायत निधि पर समुचित प्रभार घोषित किया जाये।

# अधिशासी अधिकारी की अनुसूचित शक्तियां

## <u>अनुसूची-एक</u>

| धारा<br>१. | शक्ति या कर्तव्य<br>२. | अभ्युक्तियां<br>3. |
|---|---|---|
| ४६-क | आकस्मिक रिक्ति होने पर अध्यक्ष का निर्वाचन करना। | |
| ४७-क | अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करना। | |
| ५२ | अध्यक्ष से रिर्पोट आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना। | |
| ५४ | उपाध्यक्ष निर्वाचित करना, या उसका त्याग-पत्र स्वीकार करना। | |
| ५७ | कार्यपालक अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारी नियुक्त और नियोजित करना। | |
| ५८ | कार्यपालक अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना और स्वास्थ्य अधिकारी के स्थानांतरण की सिफारिश करना। | |
| ५९ | ऐसे मामले में जिसमें रिक्ति दो मास से अधिक हो, किसी व्यक्ति को स्थानांतरण कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिये नियुक्त करना। | |
| ६१ | कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशों के विरूद्ध अपील ग्रहण करना। | प्रत्यायोजित किया जा सकता है। |
| ६३ | कार्यपालक अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी से विवरणी आदि को प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना। | |
| ६६ | सचिव नियुक्त करना। | |
| ६७ | सचिव को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना। | |
| ६८ | सिविल अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, विद्युत अभियन्ता, सहायक विद्युत अभियनता, जलकल अभियन्ता, सहायक जल-कल अभियन्ता, विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, सहायक विद्युत एवं जल-कल अभियन्ता, अर्हता प्राप्त ओवरसियर या सब ओवरसियर, सचिव, शिक्षा अधीक्षक या महिला शिक्षा अध ाीक्षक नियुक्त करना। | |

| | |
|---|---|
| ६६ | धारा ६८ के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी को पदच्युत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना। |
| ७०-क | किसी विशेष कार्य के लिये अस्थाई सेवक नियोजित करने का प्रतिषेध करना। |
| ७१ | नगर पंचायत के स्थाई कर्मचारी की संख्या और वेतन अवधारित करना। |
| ७२ | किसी एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये नियुक्त करना। |
| ७६-२ | भविष्य निधि स्थापित करना। |
| ७६-३-४ | उपदान या अनुकम्पा भत्ता करना या वार्षिकी स्वीकृत करना या क्रय |
| और-५ | करना। |
| ८१ | किसी सदस्य के विरूद्ध वाद संस्थित करना। |
| ८२-२ | ऐसी धनराशि निश्चित करना जिस धनराशि तक कोई सदस्य नगर पंचायत |
| च | को यदा-कदा होने वाली बिक्री में हित रखता हो। |
| ६४-६ | किसी संकल्प को उपान्तरित या रद्द करना। |
| ६६-१ | ऐसी संविदा स्वीकृत करना जिसके लिये वजट में कोई व्यवस्था न हो या जिसमें ऐसा मूल्य या धनराशि अन्तर्गत हो जो किसी नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में दस हजार रूपये और नगर पंचायत द्वारा किये गये संविदा की दशा में तीन हजार रूपये से अधिक न हो। |
| ६६-२ | नगर पंचायत की किसी समिति या अधिकारी या सेवक को अन्य संविदा स्वीकृत करने के लिये सशक्त करना। |
| ६६-३ | अभियन्ता को संविदा स्वीकृत करने के लिये सशक्त करना। |
| ६६ | बजट स्वीकृत करना या बजट में फेरफार या परिवर्तन करना। |
| १०४-१ | समितियों के सदस्यों को नियुक्त करना और हटाना। |
| १०४-२ | सलाहकार समितियां स्थापित करना और उनके सदस्यों की नियुक्ति करना। |

| | | |
|---|---|---|
| १०५ | नगर पंचायत के सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों को समितियों में नियुक्त करना। | |
| १०६ | समितियों में रिक्तियों की पूर्ति करना। | |
| १०७-१ | किसी समिति का सभापति नियुक्त करना। | |
| १०६ | समिति में विवरणी मांगना। | |
| ११० | संयुक्त समितियां नियुक्त करना और किसी ऐसे लिखित में फेरफार करना या उसको विखण्डित करना जिसके आधार पर कोई संयुक्त समिति नियुक्त की गयी है। | |
| ११२ | नगर पंचायत को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों और कर्तव्यों को प्रत्यायोजित करना। | |
| ११५ | नगर पंचायत निधि के किसी भाग का विनिधान करना या उसे निक्षेप में रखना। | |
| ११८ | नगर पंचायत को सौंपी गयी सम्पत्ति का प्रबंध या नियंत्रण करना। | |
| ११६ | सार्वजनिक संस्थाओं की निधि का प्रबन्ध नियंत्रण और प्रशासन करना और उसे न्यासतः धारित करना। | |
| १२४ | नगर पंचायत में निहित किसी सम्पत्ति का अन्तरण करना। | यदि अन्तरण जंगम संपत्ति से सम्बन्धित है तो इस प्रत्यायोजित किया जा सकता है। |
| १२५ | नगर पंचायत निधि से प्रतिकर देना। | |
| १२८-१३७ | कर के संबंध में कोई कार्यवाही करना। | |
| १४१ | कर निर्धारण सूची को तैयार करना और कर-निर्धारण सूची बनाने के लिये किसी व्यक्ति को नियुक्त करना। | प्रत्यायोजित किया जा सकता है। |
| १४३-३ | आपत्तियां सुनना और उनको विनिश्चत करना या आपत्तियों को सुनने और उनको विनिश्चत करने के लिये शक्ति का प्रत्यायोजन करना। | तदैव |
| १४७-१ | कर निर्धारण सूची का संशोधान करना। | तदैव |
| १५६ | कर का प्रशासन करने के लिये अनुज्ञा देना। | |
| १५७-१-२ | कराधान से छूट देना। | |
| १८७ | अग्निशमक दल की स्थापना और उनका अनुरक्षक करना। | |

१६६-क-ख सार्वजनिक नोटिस द्वारा ग्रह-सम्मार्जन या शौचालयों या संडासों की सफाई का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना।

१६७-२ किसी मकान को धारा-१६६ 'क' के अधीन नोटिस से अपवर्तित करने के लिये आवेदन-पत्र पर आदेश देना। तदैव

२१२-क नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर दो मील की दूरी तक किसी भवन या मार्ग और नाली के निर्माण को नियन्त्रित और विनियमित करना।

२१७-१-क किसी मार्ग का नाम रखना।

२१६ किसी सार्वजनिक मार्ग का निर्माण करना, उसे परिवर्तित करना, तोड़ना या बन्द करना, एस पर भवन स्थलों की व्यवस्था करना ऐसे प्रयोजनों के लिये भूमि अर्जन करने की कार्यवाही करना और इस प्रकार अर्जित भूमि को बेचना या उसका निस्तारण करना।

२२१ किसी मार्ग को सार्वजनिक मार्ग घोषित करना।

२२२-१-३ ''मार्ग को नियमित पंक्ति'' परिभाषित करना।

२२४ जल-कल का निर्माण करना और उसमें परिवर्तन करना।

२३७-१ बिक्री के लिये पशुओं के वध के लिये परिसर निश्चित करना।

२३८ ऐसे पशुओं के लिये बध स्थान निश्चित करना जो बिक्री के लिये आशयित न हों या जिनका धार्मिक प्रयोजन के लिये बध किया जाये और अन्य स्थान पर ऐसे बध ा का प्रतिषेध करना।

२५०-१ कुत्तों के मुख पटटे बांधने की अपेक्षा करना।

२५३ प्रतिबंधित खण्ड- निर्देश देना कि यह उन गाड़ियों पर लागू न होगी जो पैदल चलने की गति से अधिक न चलायी जा रही थी।

२५७-१ निर्देश देने के नगर पंचायत की सहमति के बिना छतें और बाहरी दीवालें ज्वलनशील सामग्री से नहीं बनायी जायेंगी।

२५६ ज्वलनशील सामग्री आदि का ढेर लगाने या जमा करने का प्रतिषेध करना।

| | |
|---|---|
| २६६ | तालाब और ऐसे ही अन्य स्थानों से अपदूषण को हटाने की अपेक्षा करना जब ऐसा करने में नगर पंचायत द्वारा भूमि का अर्जन करना या उसकी व्यवस्था करना अन्तर्विष्ट हो। |
| २७३-१ | संतापकारी प्रदार्थ और कूड़ा करकट के निस्तारण के लिये स्थान नियत करना। |
| ख-और-ग | और उसे हटाने के लिये समय, रीति और शर्तो के सम्बन्ध में निर्देश जानी करना। |
| २७५-३ | पशुओं के शब के निस्तारण के लिये फीस विहित करना। |
| २८२ | स्वास्थ्य के लिये हानिकार खेती, खाद का उपयोग या सिंचाई का प्रतिषेध करना। |
| २८५ | कब्रिस्तान और श्मशान भूमि की व्यवस्था करना या उन्हें बन्द करना या उन्हें बनाये जाने की अनुमति देना, सार्वजनिक नोटिस से निजी कब्रगाहों को अपवादित करना। और किसी गैर मान्यता प्राप्त कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का उपयोग करने की अनुमति देना। |
| २८६ | स्नान और धुलाई करने के स्थान को पृथक करना, ऐसे स्थानों के प्रयोग के लिये शर्ते विहित करना और अन्य स्थानों पर स्नान और धुलाई करने का प्रतिषेध करना। |
| २६०-२ | नगर पंचायत निधि से जल-कल या धारा १६२, २६७ और २६८ के अधीन किसी कार्य के निष्पादन की स्वीकृति देना। |
| २६०-३ | किस जल-कल या जल निस्तारण से अनुलग्न साधित्र में नगर पंचायत के हित को किसी भवन या भूमि के स्वामी को अन्तरित करना। |
| २६७ | विनियम बनाना। |
| २६८ | उपविधियां बनाना। |
| २६६ | यह निर्देश देना कि उपविधियों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा। |
| सामान्य | कोई शक्ति, कर्तव्य या कृत्य जिसके बारे में नियम द्वारा यह अपेक्षित हो कि उसका प्रयोग, पालन या निर्वहन स्वयं नगर पंचायत द्वारा संकल्प के द्वारा किया जायेगा। |

# अधिशासी अधिकारी की अनुसूचित शक्तियां

## अनुसूची-दो

| धारा | शक्ति या कर्तव्य | अभ्युक्तियां |
|---|---|---|
| १. | २. | 3. |
| ७५ | स्थायी अवर कर्मचारी वर्ग को नियुक्त करना। | |
| ७६ | स्थाई अवर कर्मचारी की पदच्यूत करना, हटाना या अन्यथा दण्ड देना। | |
| ७६-१ | अधिकारी या सेवक को छुटटी भत्ता देना। | |
| १४२ | उस स्थान की सार्वजनिक नोटिस देना, जहां कर निर्धारण सूची का निरीक्षण किया जा सकेगा। | |
| १४३-१ | मूल्यांकन और कर-निर्धारण पर विचार करने के लिये निश्चित समय की सार्वजनिक नोटिस देना और सम्पत्ति के स्वामी या अध्यासी को नोटिस देना। | |
| १४३-२ | मूल्यांकन और कर-निर्धारण के सम्बन्ध में आपत्तियां प्राप्त करना। | |
| १४७-२ | कर-निर्धारण सूची के प्रस्तावित परिवर्तन में हितबद्ध व्यक्तियों को उस दिनांक की, जिस दिनांक को परिवर्तन किया जायेगा, नोटिस देना। | |
| १४८-१ | किसी भवन के नव-निर्माण, पुननिर्माण या विस्तार की नोटिस प्राप्त करना। | |
| १५०-२ | पटटाकर्ता से कर उदग्रहण करने के विकल्प का प्रयोग करना। | |
| १५१-१-२ | ऐसे किसी भवन, वाराग्रह या भूमि को, जो खाली हों और जिससे किराया न मिलता हो, कर से छूट देना या उसे वापस करना। | |
| १५२-१ | किसी भवन या भूमि से पुनः अध्यासन की नोटिस प्राप्त करना। | |
| १५३ | ऐसे सूचना मांगना जिसका प्रभाव कराधान के दायित्व पर पड़ता हो। | |
| १६६ | करों और अन्य देयो के बिल प्रस्तुत करना। | |
| १६८ | मांग की नोटिस तामील करना। | |
| १६९ | करस्थम वारन्ट जारी करना। | |

.........2..

| | | |
|---|---|---|
| १७२-१ और-२ | करस्थम माल बेचना। | |
| १७२-३ | वापसी के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना और उसे वापस करना। | |
| १७३ | वारन्ट जारी करने के लिये मजिस्ट्रेट को आवेदन-पत्र देना। | |
| १७६ | मांग के लिये वाद लाना। | |
| १७८-१ | भवन इत्यादि का निर्माण पुननिर्माण करने या उसमें तात्विक परिवर्तन करने के आश्य की नोटिस प्राप्त करना। | |
| १७६-१ | यह अवधारित करना कि ऐसी नोटिस के सम्बन्ध में सूचना समाधानप्रद है। | |
| १७६-२ | रेखांक विनिदेश, और बग्रतर सूचना मांगना। | |
| १८६ | नोटिस द्वारा यह निर्देश देना कि किसी भवन इत्यादि का निर्माण, पुर्ननिर्माण परिवर्तन रोक दिया जाये या किसी भवन इत्यादि में परिवर्तित किया जाये या उसे गिरा दिया जाये। | अपीलीय |
| १८६ | नालियों का निर्माण करना। | |
| १६० | नगर पंचायत की नालियों में परिवर्तन करना और उन्हें बन्द करना। | |
| १६१-१ | निजी नालियों को नगर पंचायत की नालियों से जोड़ने की अनुज्ञा देना और उसके लिये शर्ते विहित करना। | अपीलीय |
| १६१-२ | किसी उपविधि का या अनुज्ञा की शर्तो का उल्लंघन करके या बिना अनुज्ञा प्राप्त किये बनायी गयी नाली को बन्द करने आदि की अपेक्षा करना। | |
| १६२-१ | सार्वजनिक नाली के साथ जल-निस्तारण का संयोजन करना। | उपधारा (3) के अधीन अभिलिखित आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है। |
| १६३ | नालियों का निर्माण करने के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना, आपत्तियां मांगना, उन पर आदेश देना और निर्माण की लागत और प्रतिकर वसूल करना। | |
| १६४ | नाली को मोड़ने के लिये अनुज्ञा देना और इस प्रकार नाली मोड़ने के लिये शर्ते विहित करना। | |
| १६६-ग | अध्यासी की सहमति से ग्रह-संमार्जन करने या विष्टा या विष्टा या अन्य दुर्गन्धयुक्त | |

| | | |
|---|---|---|
| और घ | पदार्थ या कूड़ा-करकट हटाने का जिम्मा लेना और इस जिम्मेदारी का त्याग करना। | |
| २०१-१ | रूढ़िगत सफाईकारों द्वारा उपेक्षा किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना। | |
| २०२-१ | किसी पृथक द्वारा ग्रह संमार्जन की उचित व्यवस्था न किये जाने पर मजिस्ट्रेट से शिकायत करना। | |
| २०१ | मार्ग का विन्यास कराने और बनाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र प्राप्त करना। | |
| २०६ | प्रक्षेप के लिये अनुज्ञा देना। | अनुज्ञा देने से इन्कार करने के विरूद्ध अपील की जा सकती है। |
| २११ | प्रक्षेप को हटाने या उसे परिवर्तित करने के लिये नोटिस जारी करना। | |
| २१३ | भवन आदि के निर्माण और मरम्मत के लिये अनुज्ञा देना और सूचना पटट आदि के सम्बन्ध में आदेश जारी करना। | |
| २१४ | झाड़ियों और पेड़ों को काटने और छांटने की अपेक्षा करना। | |
| २१५ | गिरे हुए मकान इत्यादि के कारण हुई बाधा को हटाना और उसे हटाने में होने वाले व्यय को वसूल करना या उसे हटाये जाने की अपेक्षा करने के लिये नोटिस जारी करना। | |
| २१६ | बरसाती पानी के लिये नालों और नलों की व्यवस्था करने की अपेक्षा करना। | |
| २१७-१ख | किसी मार्ग का नाम रखना या भवन पर संख्या डलवाना या स्वामी या अध्यासी। | |
| और-ग | से संख्या पटिटका लगाने की अपेक्षा करना और ऐसे नामों और संख्याओं में परिवर्तन कराने या करने की अपेक्षा करना। | |
| २१८ | भवनों पर बत्तियों, टेलीग्राफ और टेलीफोन के तारों इत्यादि के लिये खम्भे और ब्रेकेट लगवाना। | |
| २२० | किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थान का उपयोग या अध्यासन करने के लिये अनुज्ञा देना। | |
| २२३ | सार्वजनिक मार्गो इत्यादि की मरम्मत के समय बाड़ा लगाने और रौशनी की व्यवस्था करना। | |

| | | |
|---|---|---|
| २२५-१ | निजी कुओं आदि की सफाई किये जाने की अपेक्षा करना। | |
| २२५-२ | किसी व्यक्ति से निजी कुएं इत्यादि का प्रयोग न करने या उसे बन्द कर देने या बाड़ा लगा देने की अपेक्षा करना। | अपीलीय |
| २२७ | जल-सम्भरण के किसी स्त्रोंत के निकट नालियों, शौचालयों इत्यादि को हटाने या बन्द कराने की अपेक्षा करना। | अपीलीय |
| २२८ | करार द्वारा जल-सम्भरण करना। | |
| २३० | जल-सम्भरण के लिये प्रभार लेना। | |
| २३६ | नालियों इत्यादि के ऊपर अनाधिकृत भवनों को हटाना या उसके सम्बन्ध में अन्य प्रकार की कार्यवाही करना या ऐसे भवन इत्यादि को हटाने का नोटिस जानी करना। | अपीलीय |
| २४० | किसी उपविधि का उल्लघंन करके नगर पालिका की सीमा के भीतर लाये गये गोश्त का अभिग्रहण करने के लिये किसी अधिकारी को प्राधिकार देना और ऐसे गोश्त के निस्तारण के लिये आदेश जारी करना। | |
| २४४-१ | बिक्री के लिये प्रदर्शित ऐसी वस्तुओं को जो मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त प्रतीत हो और ऐसी औषधियों को जिनमें मिलावट होने की या जिनकी निष्प्रभावी हो जाने की शंका हो, अधिग्रहीत करना और ऐसी औषधियों को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना। | |
| २४५-१ | आपत्तिजनक व्यापार के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना। | अपीलीय |
| २४८ | ऐसे कुत्तों को जिनके जलान्तक (रेबीज) रोग आदि से पीड़ित होने का सन्देह हो नष्ट या परिरूद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना। | |
| २५०-२ | बिना मुख-पटट बंधे हुए कुत्तों को नष्ट या परिरूद्ध करने के लिये किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करना। | |
| २५६ | किसी सार्वजनिक भूमि को पशुओं या गाड़ियों के पड़ाव के लिये उपयोग में लाने की अनुज्ञा देना। | |

| | | |
|---|---|---|
| २५७-२ | किसी छत और दीवाल को यदि वे ज्वलनशील हो, हटाने की अपेक्षा करना। | अपीलीय |
| २५८ | ज्वलनशील सामग्री की तलाशी लेना और अनुज्ञात मात्रा से अधिक किसी मात्रा में रखी गयी सामग्री अभिग्रहीत करना। | |
| २६० | संकटपूर्ण खदान कार्य के सम्बन्ध में नोटिस जारी करना और आसन्न खतरे के निवारणार्थ विज्ञापन पट (होडिंग) या बाड़ा लगाना। | |
| २६१ | खंडजा आदि को हटाने की अनुज्ञा देना और इस प्रकार हटाये जाने आदि के कारण नगर पंचायत द्वारा किये गये व्यय को वसूल करना। | |
| २६३ | नोटिस द्वारा ऐसे भवन इत्यादि को जो खतरनाक हालत में या खण्डहर के रूप में तोड़ देने या उसकी मरम्मत करा देना या कुयें तालाब आदि को मरम्मत कराने और उनको घेरने की अपेक्षा करना और आसन्न संकट होने की स्थिति में तुरन्त कार्यवाही करना। | किसी तालाब की मरम्मत करवाने या उसे घेरने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है। |
| २६४ | अनध्यासित भवन या भूमि को, जिससे लोक अपदूषण होता हो, सुरक्षित करने या घेर देने की अपेक्षा करना। | |
| २६५ | किसी सड़क पर अस्थायी बाधा पहुचाने की लिखित अनुज्ञा देना और किसी सड़क से कोई बाधा हटाना और हटाये जाने का व्यय वसूल करना। | |
| २६६ | खुले स्थानों से मिटटी इत्यादि हटाने के लिये अनुज्ञा देना। | |
| २६७ | असार्वजनिक नालियों, नलकूपों कूड़ेदानों, शौचालयों, इत्यादि की व्यवस्था करने, उनमें परिवर्तन करने, हटाने, बन्द करने सफाई करने और दिखाई ने देने की अपेक्षा करना। | शौचालयों मूत्रालय, नाबदान, नाली, नलकूप, कूड़ादान, या गन्दगी, मैला, पानी, कूड़ाकरकट या कचरे के किसी अन्य पात्र को उपधारा-1, के खण्ड-क, के अधीन स्वामी या अध्यासी से बन्द करने या हटाने की अपेक्षा करने या उपधारा-1, के खंड-क, के अधीन उनकी व्यवस्था करने के आदेश के विरूद्ध अपील की जा सकती है। |
| २६८ | कारखानों आदि के लिये शौचालायों, मूत्रालायों, की व्यवस्था करने और उनकी सफाई करने की अपेक्षा करना। | |
| २६९-अंशतः | कुओं, तालाबों, इत्यादि की सफाई, मरम्मत, ढकने भरने या जल का निस्तारण करने की अपेक्षा करना। | अपीलीय |

२७० नालियों, संडासों, इत्यादि का निरीक्षण करना और भूमि खुदवाना।

२७१ गन्दे भवन या भूमि को स्वच्छ रखने की अपेक्षा करना।

२७३-१क संतापकारी प्रदार्थ को अस्थायी रूप से जमा करने के लिये पात्र और स्थान की स्थापना करना।

२७५-१ पशुओं के शव के निस्तारण का प्रबन्ध करना।

२७५-३अंशतः ऐसे निस्तारण के लिये फीस लेना और वसूल करना।

२७६ सीवेज आदि बहाने के लिये अनुज्ञा देना और उससे संबंधित शर्ते विहित करना।

२७७ किसी भवन में प्रदेश करना और उसका निरीक्षण करना और उसे रोगाणुमुक्त आदि करने का निर्देश देना।

२७८ मानवीय निवास के लिये अनुपयुक्त भवन के सम्बन्ध में आदेश जारी करना। अपीलीय

२८० हैजा या चेचक के रोगी, इत्यादि को अस्पताल भेजना।

२८३ किसी स्वामी या अध्यासी के अनिष्टकारी वनस्पतियों को साफ करने की अपेक्षा करना।

२८४-१ उपविधियों या अनुज्ञा की शर्तो का उल्लघंन करके किये गये उत्खन्न आदि को भरने या उसके जल-निस्तारण का अपेक्षा करना।

२६१ भूमि के किराये की वसूली के लिये कलैक्टर को आवेदन करना।

२६३ नगर पंचायत में निहित या उसके प्रबंध में सौंपी गयी सथावर सम्पत्ति के प्रयोग या अध्यासन के लिये फीस लेना और ऐसा प्रभार उदग्रहीत या वसूल करना।

२६४ लाइसेन्स स्वीकृति और अनुज्ञा के लिये फीस लेना।

३०७ किसी कार्य को निष्पादित करवाना और उसके व्यय को वसूल करना।

३०८ चूक करने वाले स्वामी के बजाय अध्यासी से नगर पंचायत को किराये का भुगतान करने की अपेक्षा करना और किसी अध्यासी से सपेक्षा करना कि वह अपने द्वारा देय किराये इत्यादि के बारे में सूचना प्रस्तुत करें।

३०६ अध्यासी द्वारा निष्पादित कार्य को अनुमोदित करना।

३१२ हटायी गयी सामग्री की बिक्री से हटाये जाने का व्यय वसूल करना कतिपय शर्तो के

| | | |
|---|---|---|
| | अधीन सामग्री स्वामी को लौटा देना या स्वामी द्वारा दावा न किये जाने पर उन्हें बेच देना। | अपीलीय |
| ३१३-२ | किसी न्यासी या अधिकर्ता को नोटिस देना के वह स्वामी की ओर से प्राप्त धन को स्वामी की बाध्यता के निर्वहन के लिये प्रयोग में लाये। | |
| ३१४ | शिकायत करके और सूचना देकर अभियोजन संस्थित करना और ऐसी शिकायत करने और ऐसी सूचना देने के लिये अन्य व्यक्तियों को प्राधिकृत करना। | |
| ३१७ | किसी पुलिस अधिकारी से सूचना प्राप्त करना। | |

३.

प्रारम्भ में प्रत्येक विभाग के लिपिक स्तर से उत्तरोत्तर विभाग प्रमुख से अधिशासी अधिकारी से अध्यक्ष तथा अन्त में नगर पंचायत में निर्णय की शक्ति निहित है।

४.

अधिनियम, नियम, उपनियम एवं समय-समय पर शासन स्तर से निर्गत शासनादेशों में वर्णित प्राविधनों के अन्गर्तत खुली बैठकों और सामूहिक परिचर्चा पश्चात दायित्व का निर्वहन।

५.

म्यूनिसीपल मैनुअल उ०प्र०, नगर पालिका अधिनियम १९६१, म्यूनिसीपल एकाउन्ट कोड एवं नगर पंचायत द्वारा बनाये गये रूल्स, रेग्यूलेशन व बाइलौज प्रमुख है। राज्यपाल महोदय के अनुदेश तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियम प्रमुख अनुदेश एवं हस्तक है। विभाग द्वारा म्यूनिसीपल एकाउन्ट कोड एवं नगर पंचायत बाइलौज के अनुसार अभिलेख अनुरक्षित किये जाते हैं।

**६. धारित दस्तावेजों का विवरणः**

बोर्ड की कार्यवाही रजिस्टर, सभासद रजिस्टर, बजट, वार्षिक प्रशासनिक आख्या, जनरल कैश बुक चैक बुक, पास बुक-ऋण पंजिका अनुदान पंजिका स्थाई अग्रिम पंजिका, अस्थाई अग्रिम पंजिका, चैक रजिस्टर, कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पत्रावली भविष्य निधि पंजिका एंव पास बुक, यात्रा भत्ता रजिस्टर, व्यय पत्र आय-व्यय वर्गीकृत सार पत्र, वार्षिक सम्परीक्षा आपत्ति पत्रावलियों कर्मचारियों की अवकाश पंजी असिसमेन्ट लिस्ट मांग, एवं संग्रह पंजी, किराया मांग एवं संग्रह लाइसैन्स रजिस्टर बिल बुक ग्रहकर, जलकर, नियमावली लायसैन्स, शुल्क नियमावली, शो टैक्स नियमावली, प्रोजेक्शन टैक्स नियमावली, सम्पत्ति रजिस्टर, भवन मानचित्र एवं रजिस्टर, मुकदमात रजिस्टर एवं पत्रावलियों स्टाक बुक स्टेशनरी/फार्म्स, पब्लिक वर्क्स रजिस्टर, निर्माण कार्य रजिस्टर, रिसीब्ड एवं

डिस्पैच रजिस्टर, स्केल रजिस्टर, सिक्योरिटी रजिस्टर, कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका, पे बिल्स, स्टाम्प रजिस्टर, मासिक विवरण पत्र, टूल्स एण्ड प्लान्ट रजिस्टर, मेजरमेन्ट बुक, कान्ट्रैक्टर बिल्स, बिल्स मस्टरोल, निर्माण पत्रावलियां, जन्म-मृत्यु रजिस्टर, जलमूल्य मांग एवं संग्रह पंजीका, जल संयोजन पत्रावलियां, मिस्लेनियस डिमाण्ड एवं कलैक्शन रजिस्टर (ठेकाजात) व पत्रालियां।

**७. लोक परामर्श व्यवस्था-**

कार्यावधि में प्रातः १० बजे से सांय ०५ बजे तक प्रत्येक कार्य दिवसों में।

**८. नगर पंचायत समिति की बैठकें और उनकी कार्यवाही-**

उ०प्र० नगर पंचायत अधिनियम १६१६ की धारा १०४ से ११० में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत समिति और संयुक्त समिति गठित किये जाने की व्यवस्था है। उक्त एक्ट की धारा ८६ से ६४ के अन्तर्गत नगर पंचायत की बैठकें और उनकी कार्यवाहियां प्राविधानित है। नगर पंचायत की बैठकें धारा ६० के अन्तर्गत जनसाधारण के लिये खुली रहेगी। तद्नुसार बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी।

# 9- अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका

| क्रसं. | नाम | पदनाम | निवास स्थान |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1. | श्री शिवशंकर मिश्र | अधिशासी अधिकारी | सोसाइटी का0 सुरेन्द्र नगर अलीगढ़ |
| 2. | देवेन्द्र प्रताप सिंह | लिपिक | मौ0 प्रेमनगर, धनीपुर मण्डी अलीगढ़ |
| 3. | मोहन लाल शर्मा | लिपिक | मौ0 ज्वालापुरी अलीगढ़ |
| 4. | मानिक चन्द्र शर्मा | टैक्स कलैक्टर | मौ0 अमीर जलाली अलीगढ़ |
| 5. | चित्रसेन | कूपचालक | मौ0 जाना, जलाली अलीगढ़ |
| 6. | विजय सिंह | स0ना0 | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 7. | रामप्रसाद | चपरासी | मौ0 गढ़ी जलाली, अलीगढ़ |
| 8. | सगीर खां | चौकीदार | मो0 मुवारिक, जलाली अलीगढ़ |
| 9. | रमेशचन्द्र | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 10. | मक्खन लाल | सफाई कर्मचारी | मौ0 मुवारिक जलाली अलीगढ़ |
| 11. | राजाराम | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 12. | रामवीर | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 13. | रज्जनलाल | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 14. | रामबाबू | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 15. | विजय | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 16. | संतोष कुमार | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 17. | हरप्रसाद | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |
| 18. | दिलीप कुमार | सफाई कर्मचारी | मौ0 जाना, जलाली अलीगढ़ |
| 19. | हरचरन लाल | सफाई कर्मचारी | मौ0 अबुल फजल जलाली अलीगढ़ |

## 10– नगर पंचायत जलाली में कर्मचारियों के वेतन की स्थिति

| क्रसं. 1. | नाम 2. | पदनाम 3. | वेतनमान 4. | मूलवेतन 5. | कुलवेतन 6. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | श्री शिवशंकर मिश्र | अधिशासी अधिकारी | 3200–4900 | 4560 | 8193 |
| 2. | देवेन्द्र प्रताप सिंह | लिपिक | 2750–4400 | 4185 | 7535 |
| 3. | मोहन लाल शर्मा | लिपिक | 2750–4400 | 4025 | 7254 |
| 4. | मानिक चन्द्र शर्मा | टैक्स कलैक्टर | 2750–4400 | 3950 | 7122 |
| 5. | चित्रसेन | कूपचालक | 2650–4000 | 2975 | 5346 |
| 6. | विजय सिंह | स0ना0 | 2610–3540 | 2910 | 5232 |
| 7. | रामप्रसाद | चपरासी | 2550–3200 | 3200 | 5766 |
| 8. | सगीर खां | चौकीदार | 2550–3200 | 3140 | 5635 |
| 9. | रमेशचन्द्र | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 3200 | 5656 |
| 10. | मक्खन लाल | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 3200 | 5656 |
| 11. | राजाराम | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 3200 | 5656 |
| 12. | रामवीर | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 3200 | 5656 |
| 13. | रज्जनलाल | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 3200 | 5656 |
| 14. | रामबाबू | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 3200 | 5941 |
| 15. | विजय | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 2900 | 5415 |
| 16. | संतोष कुमार | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 2900 | 5130 |
| 17. | हरप्रसाद | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 2900 | 5130 |
| 18. | दिलीप कुमार | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 2900 | 5130 |
| 19. | हरचरन लाल | सफाई कर्मचारी | 2550–3200 | 2900 | 5415 |

# 11- मूल आय-व्यय वर्ष 2006-07

| **आय पक्ष शीर्षक** | **वास्तविक आय 2005-06** | **अनुमानित आय 2006-07** | **व्यय पक्ष शीर्षक** | **वास्तविक व्यय 2005-06** | **अनुमानित व्यय 2006-07** |
|---|---|---|---|---|---|
| ग्रहकर | 21287.00 | 200000.00 | कार्यालय जल-कल ओवरसियर विभाग पर व्यय | 1513251.00 | 2050000.00 |
| ठेकेजात | 31750.00 | 100000.00 | सफाई कर्मचारियों पर व्यय | 1522128.00 | 30,00000.00 |
| जलशुल्क | 27920.00 | 80,000.00 | रोशनी पर व्यय सफाई उपकरण पर व्यय | - | 300000.00 |
| राज्य वित्त आयोग | 98,47000.00 | 10000000.00 | निर्माण पर व्यय | 1933036.00 | 2000000.00 |
| ग्यारहवां/बारवां वित्त आयोग | 349000.00 | 500000.00 | जल आपूर्ति पर व्यय | 193625.00 | 200000.00 |
| नगरीय आवस्थापना निधि | - | - | यात्रा पर व्यय | - | 20000.00 |
| हैण्ड पम्प | - | - | आडिट फीस पर व्यय | - | 50000.00 |
| | | | कार्यालय फर्नीचर और भवन मरम्मत बिक्रीकर पर व्यय | - | 50000.00 |
| अन्य आय | 17756.00 | 50,000.00 | अन्य व्यय | 873319.00 | 10,00000.00 |
| **आय का योग** | **10294713.00** | **10930000.00** | **योग व्यय** | **6035359.00** | **8670000.00** |

**१२. फायदा ग्राहीओं के ब्यौरे–**

स्वतः रोजगार योजना के अन्तर्गत बेरोजगारों को बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू० ५०,०००/- ऋण पात्र चयनित लाभार्थियों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। जिसमें १५ प्रतिशत सबसिडि दी जाती है। ऋण प्रपत्र निशुल्क वितरण व्यवस्था है। वर्ष २००६-०७ में निर्धारित लक्ष्य ३० लाभार्थी निर्धारित हैं लक्ष्य पूर्ति परिप्रेक्ष्य में निर्धारित प्रक्रिया प्रगति पर है।

**१३. प्रदत्त छूट–**

ग्रहकर नियमावली में प्राविधानित है कि कर दाता कर की मांग का बिल प्राप्त होने की तिथि के १५ दिवस में देय कर का भुगतान करने पर देय कर का प्रतिशत छूट पाने का हकदार है।

**१४. इलैक्ट्रोनिक सूचना ब्यौरे–**

इलैक्ट्रोनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरें की उपलब्धता शून्य हैं।

**१५. पुस्तकालय/वाचन कक्ष–**

नगर पंचायत में पुस्तकालय संचालित नहीं है। पुस्तकालय व्यवस्था हेतु प्रयास जारी है।

**१६. लोक सूचना अधिकारियों के नाम/पदनाम–**

| | | |
|---|---|---|
| सूचना अधिकारी | : | श्री नईमउल्ला खां,<br>अधिशासी अधिकारी, |
| सहायक सूचनाधिकारी | : | श्री रवेन्द्र कुमार, टैक्स कलैक्टर |

**१७. अन्य सूचना जो निर्धारित की गयी हैं–** शुन्य

**अधिशासी अधिकारी**
**नगर पंचायत, पिलखना**
**अलीगढ़।**